कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष—स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (83/26, दिनांक 29.10.2026)

वन्य जीव कछुओं कि तस्करी में शामिल आरोपी का जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर द्वारा निरस्त

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा कार्यवाही करते हुए वन्यजीव कछुओं की महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश अन्तरराज्जीयय तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य आरोपी केशव पिता विमल शर्मा से दुर्लभ प्रजाति के 30 नग कछुए जप्त कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 51 एवं 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। वन अपराध प्रकरण POR No. 3951/02 दिनाँक 19/08/2026 दर्ज विवेचना की जा रही है। प्रकरण में आज दिनांक तक 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। पांचो आरोपी वर्तमान में इंदौर जेल में निरुद्ध है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी केशव पिता विमल शर्मा, निवासी इंदौर द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के समक्ष प्रथम नियमित **जमानत आवेदन क्रमांक BA/4134/2026 इस आधार पर लगाया गया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।**

माननीय न्यायालय के समक्ष स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा अभियोजन के माध्यम से ठोस तथ्यपरख पक्ष रखा , माननीय न्यायालय ने माना कि प्रकरण **दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी से सम्बंधित गंभीर प्रकरण है, विवेचना के दौरान आरोपी को प्रतिभूति का लाभ दिये जाने पर उसके द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने और उसके फरार होने की संभावना है इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का** जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल